



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795419

है। शून्य दशमलव आठ दो दो शून्य हैकटेयर, व खाता
संख्या 00303 के खसरा नम्बर 1575/3 रकबा 0.2070 है।
शून्य दशमलव दो शून्य सात शून्य हैकटेयर व 1576/2,
रकबा 0.4640 है। शून्य दशमलव चार छः चार शून्य
हैकटेयर व 1578, रकबा 0.2780 है। शून्य दशमलव दो
सात आठ शून्य हैकटेयर कुल 3 तीन नम्बर कुल रकबा
0.9490 है। शून्य दशमलव नौ चार नौ शून्य हैकटेयर, व
खाता संख्या 00307 के खसरा नम्बर 1591/2, रकबा

निष्पत्ति



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795420

एक सात सात शून्य हेक्टेयर व 1579, रकबा 0.1390
हे० शून्य दशमलव एक तीन नौ शून्य हेक्टेयर व
1581/1, रकबा 0.1010 हे० शून्य दशमलव एक शून्य
एक शून्य हेक्टेयर व 1580, रकबा 0.1390 हे० शून्य
दशमलव एक तीन नौ शून्य हेक्टेयर व 1596, रकबा
0.1520 हे० शून्य दशमलव एक पांच दो शून्य हेक्टेयर
व 1597, रकबा 0.1140 हे० शून्य दशमलव एक एक
चार शून्य हेक्टेयर कुल 6 छः नम्बर कुल रकबा 0.8220

निष्पत्ति



01/11/20





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795421

अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी०बी० शर्मा निवासी
गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली
द्वितीय पक्ष (क्रिता)

जो कि भूमि खाता संख्या भूमि खाता संख्या 00306 के
खसरा नम्बर 1573/2, रकबा 0.1900 हे० शून्य दशमलव
एक नो शून्य शून्य हेक्टेयर व खाता संख्या 00304 के
खसरा नम्बरान 1574/2, रकबा 0.1770 हे० शून्य दशमलव

प्रिपलेट



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795422

विक्रय पत्र और से श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री अनिल कुमार
निवासी ग्राम जाटोली, परगना दोराला तहसील सरधना
जिला मेरठ ----- प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवं

श्री 0 अंसल हाकसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-बी.जी.एफ.,
इन्द्रप्रकाश 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा

मिथलेश

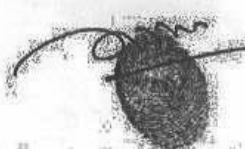


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795425

- 3.
- > विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
 - > क्रेता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास क्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12 1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
 - > विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

प्रियदर्शन





उत्तर प्रदेश UTTAR

Photo Att.

795424

- > विकित भूमि पर अन्य प्रयोजन की दर 1,00,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक दर पर अर्थात् 61,81,478/- रुपये पर स्ट्याम्प अदा किया जा रहा है।
- > कुल देय स्ट्याम्प अकत 4,32,750/- रुपये
- > प्रकाशक भारत देश के मूल नागरिक है।
- > स्ट्याम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।

प्रमाणित

am